बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—:: संकल्प ::—

पटना—15, दिनांक.....

श्री रामेश्वर भगत, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—507/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध लोक सभा निर्वाचन, 2009 के घोषणा के पश्चात् चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी आरोप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री भगत को विभागीय संकल्प सं0—1852 दिनांक 17.03.2009 द्वारा संकल्प निर्गत की तिथि से निलम्बित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 9929/09 में दिनांक 18.08.2009 को पारित न्यायादेश के आलोक में इन्हें विभागीय संकल्प सं0 12592 दिनांक 23.11.2009 के द्वारा संकल्प निर्गत की तिथि से निलम्बन मुक्त किया गया। श्री भगत के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक—12900 दिनांक—01.12.2009 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त—सह—संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक—1502 दिनांक—01.09.2010 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तदुपरान्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक—3039 दिनांक—27.02.2012 द्वारा श्री भगत से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भगत द्वारा दिनांक—17.04.2012 को बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया। बचाव अभ्यावेदन की पुनः समीक्षा की गयी।

समीक्षा के उपरांत निरूपित दंड के विरूद्ध आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उन्ही तथ्यों को दुहराया गया जिसे उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया था तथा अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में रखा गया था। द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित परिपत्र का उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में भी किया गया है। द्वितीय कारण पृच्छा में मात्र एक विचारणीय बिन्दु पाया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र की प्रति प्रभारी पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, दरभंगा के ज्ञाप सं0—41 दिनांक—17.03.09 के द्वारा उन्हें भेजा गया था, जो अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के कार्यालय में दिनांक—18.03.09 को प्राप्त हुआ, जबकि श्री भगत के द्वारा दिनांक—14.03.09 को सभा हेतु अनुमति प्रदान की गयी। अद्यतन मार्गनिर्देश की जानकारी नहीं होने के कारण आरोपित पदाधिकारी के द्वारा आयोग के दिशा—निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। श्री भगत के द्वारा अपने विरूद्ध अन्य प्रमाणित आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री भगत को अपने ही वेतनमान के निम्नतम वेतन प्रक्रम पर पदावनत करने का दंड विनिश्चित किया गया।

श्री भगत के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक—6908 दिनांक—15.05.2012 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक—418 दिनांक—30.05.2012 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी।

श्री भगत के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, श्री भगत से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के मंतव्य एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श की पुनः समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि श्री भगत के विरूद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन संबंधी प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित हैं।

इस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए श्री भगत को बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 यथा संशोधित विभागीय अधिसूचना संख्या–2797 दिनांक–28.08.2007 के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7765 दिनांक–31.05.2012 द्वारा श्री भगत को **"अपने ही वेतनमान में निम्नतम वेतन प्रक्रम पर पदावनत"** का दंड अधिरोपित किया गया।

अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री भगत द्वारा पुनर्विचार अर्जी इस विभाग को समर्पित किया गया। श्री भगत द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में जिन तथ्यों को रखा गया, वे तथ्य पूर्व में भी अनुशासनिक कार्यवाही तथा निर्वाचन विभाग के द्वारा समीक्षित किये गये थे। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं निर्वाचन विभाग के अभिमत के आधार पर ही दंड निरूपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7408 दिनांक–09.05.2013 द्वारा श्री भगत की पुनर्विचार अर्जी को अस्वीकृत किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री रामेश्वर भगत, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–507/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 14304/2013 रामेश्वर भगत बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। इस विभाग के स्तर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ दायर किया गया, जिसका ओथ संख्या–30393 दिनांक–02.12.2013 एवं ओथ संख्या–22520 दिनांक–31.01.2023 है।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–08.12.2025 को सी0डब्लू0जे0सी0 14304/2013 रामेश्वर भगत बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

Having heard learned counsel for the parties and having perused the material on record, the substance of the explanation furnished by the petitioner to the effect that he granted permission for holding the rally on the oral direction of the District Magistrate, a copy of the said permission been forwarded to the District Magistrate not having been contradicted by him, the said fact having been confirmed in the letter no.202 dated 19.7.2010 written by the Deputy Collector to the Conducting Officer as also no witness having been examined in course of enquiry, in the opinion of the Court, the order of punishment passed against the petitioner is not sustainable.

23. The order contained in memo no.7765 dated 31.5.2012 issued under the signature of the Joint Secretary, General Administration Department, Government of Bihar is set aside with a direction to the respondents to pay all consequential benefits including payment of full salary for the period of suspension which shall be paid to the petitioner within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order.

24. The writ application stands allowed

पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी, विधि विभाग द्वारा प्राप्त परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

I do not find any infirmity in the order of writ court to advice filing of LPA against the said judgment. The order of writ court be complied forthwith.

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श एवं सी0डब्लू0जे0सी0 14304/2013 रामेश्वर भगत बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–08.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में संसूचित दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7765 दिनांक–31.05.2012 को रद्द करते हुए इनके निलंबन अवधि दिनांक–17.03.2009 से 22.11.2009 के लिये पूर्ण वेतन (जीवन निर्वाह भत्ता की राशि घटाकर शेष राशि) सहित सभी अनुषांगिक लाभ प्रदान करने के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री रामेश्वर भगत, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 507/07, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 08.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में संसूचित दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7765 दिनांक–31.05.2012 को रद्द करते हुए इनके निलंबन अवधि दिनांक–17.03.2009 से 22.11.2009 के लिये पूर्ण वेतन (जीवन निर्वाह भत्ता की राशि घटाकर शेष राशि) सहित सभी अनुषांगिक लाभ के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है।

तद्नुसार श्री रामेश्वर भगत, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 507/07, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में संसूचित दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7765 दिनांक–31.05.2012 को रद्द करते हुए इनकी निलंबन अवधि दिनांक–17.03.2009 से 22.11.2009 के लिये पूर्ण वेतन (जीवन निर्वाह भत्ता की राशि घटाकर शेष राशि) सहित सभी अनुषांगिक लाभ के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/मुक0–05–01/2023 सा0प्र0 2373 **/पटना–15, दिनांक** 3.2.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/श्री रामेश्वर भगत, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 507/07, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत, पता–मोहल्ला–हनुमान नगर, पोस्ट–गया, थाना–रामपुर, जिला–गया, पिन–823001/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/2/26

सरकार के अपर सचिव